No. A-12025/9/2005-Adm.I
GOVERNMENT OF INDIA
PLANNING COMMISSION

Yojana Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi, the Dec., 2005.

To

All Central Government Departments / State Governments/ UT Administrations/ Universities

SUB:- Recruitment to some posts of Deputy Adviser in the scale of pay of Rs.12000-375-16500 in the Planning Commission on Promotion/ Transfer on Deputation (including short-term contract) basis.

Sir,

I am directed to say that the Planning Commission requires the services of suitable Officers for appointment to the posts of (i) Deputy Adviser (Data Bank); (ii) Deputy Adviser (Energy Policy); (iii) Deputy Adviser (Engineering); (iv) Deputy Adviser (Village & Small Industries); (v) Deputy Adviser (Fertilizers); (vi) Deputy Adviser (Fisheries); (vii) Deputy Adviser (Backward Classes and Tribal Development); (viii) Deputy Adviser (Irrigation); (ix) Deputy Adviser (Chemicals) and (x) Deputy Adviser (Social Planning) **[one each]** to be filled by composite method i.e. "Promotion/ Transfer on Deputation (including short-term contract)" basis. The selection for each post will be made by the UPSC.

2. Officers working under the Central / State Governments / UT Administrations/ Universities/ Recognised Research Institutions/ Public Undertakings as well as the Departmental Senior Research Officers / Deputy Director (Information) of the Planning Commission who fulfill the conditions specified for each post in the enclosed Annexure would be considered together. If Departmental Senior Research Officer /Deputy Director (Information) of the Planning Commission is recommended by the UPSC for appointment to any post, it will be treated as having been filled by Promotion and in case an outsider candidate is recommended by the UPSC, the post will be offered on Deputation basis for a specific period not exceeding four years.

3. Scale of pay, eligibility conditions i.e. qualifications and experience, period of deputation and duties etc. for each post are indicated in the **enclosed Annexure**.

4. Ministries/ Departments of the Central Govt./ State Governments/ UT Administrations are requested to bring these vacancies to the notice of the Officers working under their charge as well as those working in Public Undertakings and Recognised Research Institutions under their administrative control.

5. Applications/Curriculum Vitae (in duplicate) in the **enclosed proforma** alongwith the following documents in respect of eligible candidates who can be spared for taking up the assignment within one month from the date of intimation about selection may please be forwarded to the undersigned, separately for each post duly signed by the candidate and countersigned by the Head of Office or an officer authorized to sign on his behalf:

(i) Cadre Clearance/Specific No Objection.
(ii) Up-to-date Confidential Report Dossier of the candidate concerned or photocopies of the Annual Confidential Reports of the candidate for the last five years duly attested by an Officer not below the rank of Under Secretary to the Govt. of India;

-/-

(iii) Integrity Certificate (in the **enclosed format**) to be signed by an Officer not below the rank of Deputy Secretary to the Govt. of India

(iv) Vigilance Clearance (in the **enclosed format**) indicating that no disciplinary proceedings or criminal proceedings are either pending or contemplated against the Officer concerned; and

(v) List of major/ minor penalties, if any, imposed on the candidate during the last 10 years OR No Penalty Certificate (in the **enclosed format**), as the case may be.

It may please be noted that it would not be possible to entertain the application if it is not accompanied with the above documents. It is also informed that the curriculum vitae (CV) duly supported by documents will be assessed by the Selection Committee for appointment to posts on deputation basis.

6. Applications of only those candidates who are clear from vigilance angle need be forwarded. The vacancy is also being published in the Employment News shortly. The closing date for receipt of applications will be 60 days from the date of publication of the advertisement in the Employment news.

7. Applicants should ensure that the application is complete in all respects and is in the **prescribed proforma**. No column of the proforma should be left blank. Wherever information is "Not Applicable" or "Nil", it may please be so stated. **Only complete applications received through proper channel alongwith all the documents mentioned in para 5 above on or before the specified closing date shall be considered. Applications received after the closing date or those which are not in the prescribed proforma or those which are incomplete or advance applications will not be considered.**

8. The details of these vacancies are also available on Planning Commission website, i.e. "**http://www.planningcommission.nic.in**" under the link **"circulars"**.

Yours faithfully,

(K.K.CHHABRA)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. 23096531

Copy forwarded to:-

1. Pr. Adviser (Perspective Planning)/Adviser (WR)/ Adviser (Energy)/ Adviser (Industries/ VSE)/ Adviser (Agriculture)/Adviser (SJ & E), Planning Commission.
2. All Senior Research Officers of the Planning Commission who have completed/ will complete 5 years regular service in the grade as on the date of eligibility specified for each post in the Annexure and possess the essential qualifications and experience for specific post may complete the proforma and send it (in duplicate) to the undersigned.
3. Joint Secretary (SP & Administration), Planning Commission.
4. Notice Boards.

(K.K.CHHABRA)
Under Secretary to the Govt. of India

ANNEXURE

Details of eligibility conditions for the post of (i) Deputy Adviser (Data Bank); (ii) Deputy Adviser (Energy Policy); (iii) Deputy Adviser (Engineering); (iv) Deputy Adviser (Village & Small Industries); (v) Deputy Adviser (Fertilizers); (vi) Deputy Adviser (Fisheries); (vii) Deputy Adviser (Backward Classes and Tribal Development); (viii) Deputy Adviser (Irrigation); (ix) Deputy Adviser (Chemicals] and (x) Deputy Adviser (Social Planning) in the Planning Commission [one each] to be filled by Promotion/Transfer on Deputation (including short-term contract) basis.

Details of these vacancies are :-

----

1. SCALE OF PAY :Rs.12000-375-16500 [For each post]

2. DUTIES ATTACHED TO THE POST:

[I] Deputy Adviser (Data Bank)

(i) To develop information, storage and retrieval system for the Planning Commission covering all sectors/schemes/areas;
(ii) To develop, operate and maintain the Data Bank for Planning Commission as a part of the Information System;
(iii) To help in the task of improving data base of the economy;
(iv) To help developing information systems and Data Banks in Ministries/State Governments/Project authorities;
(v) To discharge such other duties as may be assigned by the Planning Commission.

[II] Deputy Adviser (Energy Policy)

(i) To guide the Energy Modelling Group in carrying out Modelling studies, updating the data base etc.;
(ii) To look after the work of collection, compilation and analysis of data on energy and energy related sectors for policy formulation; and
(iii) To take up detailed analysis of the demand side of energy.

[III] Deputy Adviser (Engineering)

Deputy Adviser (Engineering) works under the general guidance of Adviser incharge in the Industry Division of the Planning Commission and is expected to assist him and other senior officers in the Planning Commission in :-

(i) Examination of plan proposals of Public Sector Enterprises and formulation of Annual & Five Year Plans;
(ii) Techno-economic examination of investment proposals;
(iii) Examination of performance reports of undertakings in the engineering sector;
(iv) Monitoring the progress of construction of projects in the engineering sector;
(v) Consideration of policy issues in planning and development of engineering industries; and
(vi) Any other matter as may be assigned from time to time.

[IV] Deputy Adviser (Village & Small Industries)

(i) Technical and Economic Analysis of such industries as Handlooms, Sericulture, Coir, Khadi, Handicrafts, and Village industries, with a view to identifying the nature of problems, and seek solutions for the development of such industries in the decentralized sector.

(ii) Monitor the performance of the above industries at regular intervals in order to assess their progress and whether it is in conformity with the physical and financial targets envisaged, including such aspects as production, employment, technical Upgradation and such other socio-economic objectives as preventing exploitation of the artisans and workers from middlemen and traders, etc.

(iii) Prepare Annual and Five Year Plans and review the performance as and when required.

(iv) Prepare policy notes, briefs, comments and status reports on these industries at regular intervals for consideration of the Expert Groups and the Planning Commission.

(v) Carry out studies on development and promotion of village industries with a view to identifying the constraints and suggest remedial measures.

(vi) Carry out techno-economic evaluation of proposals and projects received from various Ministries.

(vii) Analyse the research and development programmes for according priority in consonance with the development of these industries.

[V] Deputy Adviser (Fertilizers)

(i) Formulation of Five Years Plans and Annual Plans on Chemicals and Fertilizers.

(ii) Examination of matters relating to policies and problems of the Fertilizer Industry.

[VI] Deputy Adviser (Fisheries)

(i) To examine schemes and plans of the Central and State Governments/Union Territories relating to the development of Fisheries and other associated activities;

(ii) To organise and participate in the studies undertaken by the Agriculture Division pertaining to the Fisheries sector;

(iii) To assist the Head of Agriculture Division in the organisation, direct and guide the studies undertaken by the Agriculture Division;

(iv) To do such work as may be assigned by the Head of Agriculture Division from time to time.

[VII] Deputy Adviser (Backward Classes & Tribal Development)

Coordination of work relating to planning of welfare programmes for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and development of tribal areas, drafting of policy frames for the development of these sections of population and areas, programme planning at central & state levels for these groups and areas, drafting sectoral chapters for Five Year and Annual Plan Documents, handle parliamentary work, attend inter-departmental meetings on development programmes for the above groups and areas, prepare progress reports and reports for steering committees/ task forces/ working groups, guide, design and select research and evaluation areas on plans and programmes in the sector for study, do field surveys from time to time, arrange orientation training of district offices implementing TSP/SCP programmes.

[VIII] Deputy Adviser (Irrigation)

1. Technical and economic approval of Irrigation, Flood Control Projects;
2. To participate in the discussions with States and Central Ministries and formulation of Plans and preparation of agenda and minutes thereof;
3. To assist the Senior Officers of the Water Resources Division (Adviser & Joint Adviser) in dealing with all aspects of water resources development pertaining to irrigation, Flood Control and command Area Development Programmes.

[IX] Deputy Adviser (Chemicals)

To assist Planning Commission in :-

1. Planning in relation to various aspects of development of chemical industry;
2. Examination of specific technical/economic and other aspects of problems arising in chemical industry;
3. Evaluation of feasibility reports/detailed project reports;
4. Formulation of policies of Industrial licensing, foreign investment and collaboration etc;
5. Coordination with the Ministries of Government of India and Public Sector Undertaking in matters relating to planning of chemical industry.

[X] Deputy Adviser (Social Planning)

1. To undertake studies in regard to formulation of policies relating to execution of development projects / programmes in the field of Social Welfare including welfare of backward classes.
2. TO examine the status of social welfare and initiate and guide research studies in the field; and
3. To carryout surveys and periodical evaluation of programmes and schemes pertaining to latest social trends/ developments in the concerned area in India and abroad.

3. ELIGIBILITY :

[**COMMON FOR ALL POSTS**]

(I) FOR DEPUTATION:

Officers holding analogous posts on regular basis or with 5 years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 3000-4500 (Now Revised to Rs.10000-325-15200) or equivalent under the Central/ State Govts./ UT Administrations/ Universities/ Recognised Research Institutions/ Public Undertakings and possessing the qualifications and experience prescribed for each post, as indicated against item No. 6 hereunder.

(II) FOR PROMOTION:

Senior Research Officers/ Deputy Director (Information) of the Planning Commission with 5 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for each post as indicated against item No.6 hereunder.

4. AGE LIMIT :

The maximum age limit for appointment by Transfer on Deputation (including Short-Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the crucial date for determining eligibility as indicated against item No. 5 hereunder.

5. CRUCIAL DATE FOR DETERMINING ELIGIBILITY :

(a) For the posts of Deputy Advisers (Data Bank; Energy Policy; Engineering; Village & Small Industries; Backward Classes & Tribal Development, Irrigation, Chemicals and Social Planning)– It will be the closing date for receipt of applications as per this advertisement.

(b) For the posts of Deputy Advisers (Fisheries and Fertilizers) – It will be 1/7/2006.

6. QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:

[**Separate for each post]**

[I] Deputy Adviser (Data Bank)

ESSENTIAL:

(i) Master's Degree in any branch of Science or Business Administration or Degree in Engineering/ Computer Science of a recognised University or equivalent.

(ii) 10 years' experience in research/ design/ development/ planning in information storage and retrieval systems.

DESIRABLE:

(i) Doctorate Degree in Science or Master's Degree in Engineering/ Computer Science.

(ii) Experience of developing data base management systems, systems analysis and systems design.

(iii) Experience of designing and organizing training programmes in information and data processing systems.

[II] Deputy Adviser (Energy Policy)

ESSENTIAL:

(i) Master's degree in Geology / Applied Geology / Geo-Physics / Petroleum Technology / Physics / Mathematics/Economics/ Operation Research or a Degree in Mining Engg./ Electrical Engg.

(ii) 10 years' experience in Projects/Research/Design/Development /Planning/Operation in the field of Energy (Electrical/Coal / Lignite/Petroleum and Natural Gas/Non-conventional Energy Technologies).

DESIRABLE:

(i) Doctor's Degree in Geology/Applied Geology/Geo-Physics/ Petroleum Technology/ Energy/ Physics/ Mathematics/ Economics / Operations Research or Master's Degree in Mining Engineering/Electrical Engineering.
(ii) Experience in Project Appraisal and Techno-economic Evaluation of Technical, Economical and Statistical Reports / Energy Modelling/Energy Forecasting Techniques.
(iii) Experience in Computer Application in Monitoring and Design, Development and Operation of Data base Information System.
(iv) Knowledge of long-term physical and financial planning and latest trends and development, tools and Techniques of planning in the field of energy.

[III] Deputy Adviser (Engineering)

ESSENTIAL:

(i) Degree in Mechanical/Electrical/ Electronic Engg. of a recognised University or equivalent.
(ii) 10 years' experience in research/ design/ development/ planning / execution/ promotion in engineering industries.

DESIRABLE:

(i) Master's degree in Engineering / Business Administration.
(ii) Knowledge of industrial economics and of principles and policies governing industrial development and regulations.
(iii) Experience of project appraisal/ techno-economic evaluation of detailed project reports/ feasibility studies.

[IV] Deputy Adviser (Village & Small Industries)

ESSENTIAL:

(i) Master's degree in Physics/Chemistry/Pharmacy/ Economics /Commerce/ Business Administration or Degree in Engineering or Technology of a recognised University or equivalent.
(ii) 10 years' experience in research/development/planning / execution/promotion in any areas of industry/industrial development.

DESIRABLE:

(i) Doctorate degree in the relevant area of science or Master's degree in Engineering.
(ii) Experience of developing/promotion of village and industries.
(iii) Knowledge of government policies/regulations in regard to development / promotion of village and small industries.

[V] Deputy Adviser (Fertilizers)

ESSENTIAL:

(i) Master's degree in Pure/ Applied/ Industrial Chemistry or degree in Chemical Engg. or technology of a recognised University or equivalent.
(ii) 10 years' experience in research/ design/ development or in planning/ implementation of development programmes/ projects in fertilizers industry.

DESIRABLE:

(i) Doctorate Degree in Chemistry/ Master's Degree in Chemical Engineering.
(ii) Familiarity with or knowledge of fertilizer economics, collaboration, etc.
(iii) Experience or preparation and/ or techno-economic evaluation of feasibility studies or detailed project reports.

[VI] Deputy Adviser (Fisheries)

ESSENTIAL:

(i) Master's Degree in Veterinary Science/ Animal Husbandry/ Fisheries or related field or discipline of a recognised University or equivalent.
(ii) 10 years' experience in research/ development/ planning/ execution of development projects/ programmes in the field of fisheries inland/ marine.

DESIRABLE:

(i) Doctorate Degree in the relevant field.
(ii) Experience of extension work in the areas in essential (ii) indicated above.
(iii) Experience of preparation of or techno-economic evaluation of feasibility studies/ detailed project reports.

[VII] Deputy Adviser (Backward Classes & Tribal Development)

ESSENTIAL:

(i) Master's degree in Sociology/Social Anthropology/Social Psychology/Social work from a recognised University or equivalent.

(ii) 10 years' experience in research/appraisal/planning execution of development projects/programmes in the field of social welfare, backward classes welfare, tribal development, applied nutrition etc.

DESIRABLE:

(i) Doctorate degree in the concerned field.
(ii) Experience of conducting / organizing / guiding / planning/ execution / appraisal of projects /programmes in multi-disciplinary areas.
(iii) Research experience with evidence of published work in sociology/anthropology/ social work, etc.

[VIII] Deputy Adviser (Irrigation)

ESSENTIAL:

(i) Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent.
(ii) 10 years' experience in research/design/development/ planning/ execution/administration in the field of irrigation in all its diverse aspects like river valley projects, water resources development, command area development, drainage, food control, etc.

DESIRABLE:

(i) Master's degree in Civil/Hydraulic/Water Resources Engineering/Hydrology.
(ii) Experience of preparing critical reviews, appraisal reports, research reports etc. as evidenced by publications.

[IX] Deputy Adviser (Chemicals)

ESSENTIAL:

(i) Master's degree in Pure/ Applied/ Industrial Chemistry or Degree in Chemical Engineering/ Technology of a recognized University or equivalent.
(ii) 10 years' experience in research/ design/ development in Chemistry/ Chemical Engineering/ Technology or in planning/ implementation of development programmes/ projects in chemical industry.

DESIRABLE:

(i) Doctorate degree in Chemistry/ Master's degree in Chemical Engineering.
(ii) Familiarity with principles and/ or policies of industrial licensing, foreign investment, collaboration, etc.
(iii) Experience of preparation and/ or techno-economic evaluation of feasibility studies or detailed project reports.

[X] Deputy Adviser (Social Planning)

ESSENTIAL:

(i) Master's Degree in Social Work/ Sociology/ Social Anthropology/ Economics from recognised University or equivalent.

(ii) 10 years' experience in research/ appraisal/ planning/ execution of development projects/ programmes in the field of social welfare including welfare of backward classes.

DESIRABLE:

(i) Doctorate degree in the concerned field.

(ii) Knowledge of planning concepts and/ or experience of long term planning for economic and social development.

7. PERIOD OF DEPUTATION/ CONTRACT:

Period of deputation/ contract including period of deputation/ contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The terms and conditions of deputation will be regularized according to the orders contained in the Govt. of India, DoPT's OM No.2/29/91-Estt.(P.II), dated 5th January, 1994 as amended from time to time and in the case of those coming on contract, the terms will be settled in consultation with the concerned authorities as per the instructions issued by DoPT.

****

[FORMAT OF VARIOUS CERTIFICATES REQUIRED TO BE ENCLOSED SEPARATELY ALONGWITH THE APPLICATION OF CANDIDATE WHO APPLIES FOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT) BASIS]

INTEGRITY CERTIFICATE

After scrutinizing Annual Confidential Reports of Dr./Shri/Smt./Ms. ______________________, _____________ who has applied for the post of Deputy Adviser (_______________________) in the Planning Commission on Transfer on Deputation basis, it is certified that his/ her integrity is beyond doubt.

[To be signed by an Officer of the rank of Deputy Secretary or above]
Name & Office Seal :
Date :

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

Certified that no vigilance case or disciplinary proceedings or criminal proceeding is either pending or contemplated against Dr./Shri/Smt./Ms. ______________________, _____________ who has applied for the post of Deputy Adviser (___________________) in the Planning Commission on Transfer on Deputation basis.

[Authorised signatory]

Name & Office Seal :
Date :

NO PENALTY CERTIFICATE

Certified that no minor/ major penalty has been imposed on Dr./Shri/Smt./Ms. ______________________, _____________ who has applied for the post of Deputy Adviser (___________________) in the Planning Commission on Transfer on Deputation basis during the last ten years.

[Authorised signatory]

Name & Office Seal :
Date :

****

सं.ए-12025/9/2005 -प्रशासन -I
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर, 2005

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन / विश्वविद्यालय ,

वि-ाय:- योजना आयोग में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर 12000-375-16500 के वेतनमान में उप सलाहकारों के कुछ पदों पर भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना आयोग में (i) उप सलाहकार (डाटा बैंक), (ii) उप सलाहकार (ऊर्जा नीति), (iii) उप सलाहकार (इंजीनियरिंग), (iv) उप सलाहकार (ग्रामीण एवं लघु उद्योग) ,(v) उपसलाहकार (उर्वरक), (vi)उप सलाहकार (मछली पालन), (vii) उप सलाहकार (पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास), (viii)उपसलाहकार (सिंचाई), (ix) उप सलाहकार (रसायन) तथा (x) उप सलाहकार (सामाजिक योजना) (प्रत्येक एक) के पद पर पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है । प्रत्येक पद का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा ।

2. केन्द्र सरकार के सभी विभागों / राज्य सरकारों / संघ राज्य प्रशासनों / विश्वविद्ययालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान अधिकारियों / सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन अधिकारियों और विभागीय वरि-ठ अनुसंधान अधिकारियों / उप निदेशक (सूचना) जो संलग्नक में निर्दि-ट शर्तो को पूरा करते हैं, के नामों पर एक साथ विचार किया जाएगा । यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी पद हेतु नियुक्ति के लिए योजना आयोग के किसी विभागीय वरि-ठ अनुसंधान अधिकारी/ उप निदेशक (सूचना) की संस्तुति की जाती है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा और यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी बाहरी उम्मीदवार की संस्तुति की जाती हे तो नियुक्ति चार व-र् से अधिक न होने वाली विशि-ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर होगी ।

3. पद का वेतनमान, पात्रता, शर्ते , अर्हताएँ और अनुभव, पद से संबद्ध कार्य और प्रतिनियुक्ति की अवधि आदि **संलग्नक** में दिए गए हैं ।

4. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि वे इस रिक्ति को अपने नियंत्रण के अधीन सभी कार्यालयों / सार्वजनिक उपक्रमों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र आत्मवृत संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रत्येक पद हेतु पृथक रूप से भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेनित करना अपेक्षित है ;-

(i) संवर्ग निकासी / सुस्प-ट अनापत्ति ;

-/-

(ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच व-र्ो की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टो की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;

(iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनि-ठा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप) में ।

(iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है, तथा

(v) विगत 10 व-र्ो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंड़ नहीं प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में), जैसी भी स्थिति हो ।

[यह ध्यान रखा जाए की उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा । यह भी सूचित किया जाता हे कि प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दस्तावेजों सहित करिकुलम बिटे का मूल्यांकन होगा ।]

6. केवल उन अभ्यर्थियों के आवेदन, जो सतर्कता की दृन्टि से दो-मुक्त हैं, अग्रेनित करने की आश्यकता है । जल्द ही रिक्ति का प्रकाशन रोजगार समाचार में किया जा रहा है । आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर होगी।

7. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र सभी तरह से पूर्ण है तथा निर्धारित प्रपत्र में है । प्रपत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोडना चाहिए । जहां भी सूचना "लागू नहीं" या " शून्य" है , कृप्या इसे बताएं । निदेशित आखिरी तिथि या उससे पहले प्राप्त उक्त पैरा 5 में वर्णित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम के जरिए प्राप्त केवल पूर्ण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन या जो निधारित प्रपत्र में नहीं हैं या जो अपूर्ण हैं या पहले के आवेदन मान्य नहीं होंगे ।

8. इन रिक्तियों के विवरण योजना आयोग की वेबसाइट ‘‘http://www.planningcommission.nic.in" "circulars" पर उपलब्ध हैं ।

भवदीय,

(के.के.छाबड़ा)
अवर सचिव , भारत सरकार
दूरभा-ा ; 23096531

प्रतिलिपि प्रेनित -

1. प्रधान सलाहकार (भावी योजना) / सलाहकार (डब्ल्यू आर) सलाहकार (ऊर्जा)/ सलाहकार (उद्योग / वी एसई)/ सलाहकार (कृनि)/ सलाहकार (एसजेएंड ई) ,योजना आयोग ।
2. योजना आयोग के सभी वरि-ठ अनुसंधान अधिकारियों जिन्हनने संलग्नक में प्रत्येक पद के लिए निर्देशित ग्राहता की दिनांक को इस ग्रेड में 5 व-र् की नियमित सेवा पूरी कर ली है और इस अनुरोध के साथ कि वे, जो अनिवार्य अर्हताएं तथा अनुभव रखते हैं, प्रपत्र पूरा करके तथा अंतिम तिथि तक (दो प्रतियों में) अद्योहस्ताक्षरी को भिजवा दें ।
3. संयुक्त सचिव (एसपी एवं प्रशासन), योजना आयोग ।
4. सूचना पट्ट ।

(के.के.छाबड़ा)
अवर सचिव , भारत सरकार

संलग्नक

योजना आयोग में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर प्रत्येक एक (i) उप सलाहकार (डाटा बैंक), (ii) उप सलाहकार (ऊर्जा नीति), (iii) उप सलाहकार (इंजीनियरिंग), (iv) उप सलाहकार (ग्रामीण एंव लघु उद्योग) ,(v) उप सलाहकार (उर्वरक), (vi)उप सलाहकार (मछली पालन), (vii) उप सलाहकार (पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास), (viii)उप सलाहकार (सिंचाई), (ix) उप सलाहकार (रसायन) तथा (x) उप सलाहकार (सामाजिक योजना) के पद से संबंधित पात्रता शर्तो आदि का विवरण :-

1. **वेतनमान** : **12000-375-16500रू0 (प्रत्येक पद के लिए)**

2. **पद से संबंधित कार्य** :

(I) उपसलाहकार (डाटा बैंक)

(i) सभी क्षेत्रकों / स्कीमों / क्षेत्रों को कवर करते हुए योजना आयोग के लिए सूचना, स्टोरेज और बरामदगी प्रणाली विकसित करना ।

(ii) सूचना पद्धति के भाग के रूप में योजना आयोग के लिए डाटा बैंक विकसित, संचालित एवं रख- रखाव करना ।

(iii) अर्थव्यवस्था का डाटा बेस विकसित करने के कार्य में सहायता करना ।

(iv) मंत्रालयों / राज्य सरकारों / परियोजना अधिकरणों में सूचना पद्धतियों और डाटा बैंकों को विकसित करने में मदद करना ।

(v) योजना आयोग द्वारा सौंपी गई ऐसी अन्य जिम्मेदारियों को निभाना ।

(II) उप सलाहकार(ऊर्जा नीति)

(i) प्रतिरूपण अध्ययनों, डाटा बेसों को अद्यतन इत्यादि करने में ऊर्जा प्रतिरूपण समूहों की सहायता करना ।

(ii) नीति प्रतिरूपण् के लिए ऊर्जा और ऊर्जा संबंधित क्षेत्रकों के डाटा का एकत्रण , संग्रहण और विश्ले-ाण कार्य को देखना ; तथा

(iii) ऊर्जा की मांग के हिस्से का विस्तृत अध्ययन करना ।

(III) उप सलाहकार (इंजीनियरिंग)

उपसलाहकार (इंजीनियरिंग) योजना आयोग के उद्योग प्रभाग में प्रभारी सलाहकार के सामान्य मार्गदर्शन में कार्य करता है और उसे एवं योजना आयोग में अन्य वरि-ठ अधिकारियों को सहायता करने की उम्मीद की जाती है ;-

(i) सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के योजना प्रस्तावों की जांच और वार्-िाक एवं पंचव-र्ीय योजनाओं की जांच और वार्-िाक एवं पचंव-र्ीय योजनाओं का प्रतिपादन ;

-/-

(ii) निवेश-प्रस्तावों की तकनीकी -आर्थिक जांच ;
(iii) अभियांत्रिकी क्षेत्रकों में उपक्रमों की नि-पादन रिपोर्टो की जांच ;
(iv) अभियांत्रिकी क्षेत्रक में परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति को मानीटर करना ;
(v) योजना एवं अभियांत्रिकी उद्यमों में नीति मुद्दों पर विचार ; और
(vi) अन्य कोई मामला, जो समय-समय पर सौंपा जाए ।

(IV) उप सलाहकार (ग्रामीण एवं लघुउद्योग)

(i) समस्याओं के प्रकार को पहचानने , और विकेंद्रीकृत क्षेत्रकों में ऐसे उद्योगों के विकास हेतु समाधान खोजने की दृ-िट से हथकरघा , रेश्मपालन, जूट, खादी, हस्तशिल्प, और ग्रामोंद्योगों जैसे उद्योगों का तकनीकी और आर्थिक विश्ले-ाण ।
(ii) उक्त उद्योगों के नि-पादन को नियमित अंतरालों पर मानीटर करना उनकी प्रगति तथा उत्पादन , रोजगार , तकनीकी अद्यतन जैसे पहलुओं और विचौलियों और व्यापारियों इत्यादि से कारीगरों तथा मजदूरों के शो-ाण को रोकना जैसे सामाजार्थिक उद्देश्यों को शामिल कर विचारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की अभिपु-टी को जांचना ।
(iii) वार्-िाक तथा पंचव-र्ीय योजनाओं को तैयार करना तथा जब भी आवश्यक हो नि-पादन की समीक्षा करना ।
(iv) नीति उल्लेखों , संक्षेपों, विशे-ाज्ञ समूहों तथा योजना आयोग के विचार के लिए नियमित अतंरालों पर इन उद्योंगों पर टिप्पणियां तथा स्थिति रिपोर्ट तैयार करना ।
(v) दवाबों को पहचानने तथा सुधारात्मक उपायों को सुझाने की दृ-िट से ग्रामोंद्योगों के विकास और प्रोन्नति पर अध्ययन करना ।
(vi) विभिन्न मंत्रालायों से प्राप्त प्रस्तावों और परियोजनाओं का तकनीकी - आर्थिक मूल्यांकन करना ।
(vii) इन उद्योंगों के विकास के सामंजस्य में प्राथमिकता प्रदान करते हुए शोध ओर विकास कार्यक्रमों का विश्ले-ाण करना ।

(V) उप सलाहकार (उर्वरक)

(i) रसायनों तथा उर्वरकों पर पंचव-र्ीय और वार्-िाक योजनाओं का प्रतिपादन
(ii) उर्वरक उद्योग की नीतियों एवं समस्याओं से संबद्ध मामलों की जांच ।

(VI) उप सलाहकार (मछली पालन)

(i) मात्स्यिकी और अन्य जुड़ी हुई गतिविधियों के विकास से संबद्ध केंद्र और राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों तथा योजनाओं को जांचना ;
(ii) मात्स्यिकी क्षेत्रक के उपयुक्त कृ-िा प्रभाग द्वारा किए जा रहे अध्ययन को आयोजित करना और उसमें भाग लेना ;
(iii) संगठन में कृ-िा प्रभाग के अध्यक्ष को सहायता करना, निदेशित करना और कृ-िा प्रभाग द्वारा किए जा रहे अध्ययन का मार्ग दर्शन करना ;

-/-

(iv) समय-समय पर कृनि प्रभाग द्वारा सौंपे गए ऐसे कार्य को करना ।

(VII) उप सलाहकार (पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास)

अनुसूचित जातियों , अनु. जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रमों की योजना से संबद्ध कार्य का समन्वय तथा जनजातीय क्षेत्रों का विकास, आबादी के इन वर्गों और क्षेत्रों के विकास के लिए नीति निर्माणों के मसौदे तैयार करना, इन समूहों तथा क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्य स्तरों पर कार्यक्रम योजना बनाना, पंचव-र्ीय एवं वार्निक योजना दस्तावेजों के लिए क्षेत्रक अध्यायों के मसौदे तैयार करना, संसदीय कार्य संभालना, उक्त समूहों और क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों पर अंतर्विभागीय सभाओं में भाग लेना । प्रगति रिर्पोट और स्थायी समितियों / कार्य बलों / कार्य समूहों के लिए रिर्पोट तैयार करना, अध्ययन के लिए क्षेत्रकों में योजना तथा कार्यक्रमों पर शोध एवं मूल्यांकन क्षेत्रों का र्मागदर्शन करना , प्रारूप बनाना और चयन करना, समय-समय पर क्षेत्र सर्वेक्षण करना, टीएसपी / एससीपी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले जिले कार्यालयों के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(VIII) उप सलाहकार (सिंचाई)

i) सिंचाई , बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के तकनीकी और आर्थिक अनुमोदन :

(ii) राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परिचर्चाओं में भाग लेना तथा योजनाओं का प्रतिपादन और उसकी कार्यसूची और कार्यवृत्तों की तैयारी :

(iii) सिंचाई , बाढ़ नियंत्रण और सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से जुड़े जल संसाधन विकास के सभी पहलुओं के साथ लेन-देन में जल संसाधन प्रभाग के वरि-ठ अधिकारियों (सलाहकार तथा संयुक्त सलाहकार)की सहायता करना।

(IX) उप सलाहकार (रसायन)

निम्नलिखित कार्यों में योजना आयोग की सहायता करना-

(i) रसायन उद्योग के विकास से संबंधित विविध पहलुओं में योजना बनाना,

(ii) कोयला रसायन उद्योग में उठने वाली समस्याओं का विशि-ठ तकनीकी / आर्थिक और अन्य पहूओं का परीक्षण बनाना,

(iii) मानिटरिंग साध्यता अध्ययन / वस्त्रुत परियोजना प्रतिवेदनों का मूल्यांकन करना,

(iv) उद्योग लाईसेंसिंग, विदेशी निवेश तथा सहयोग इत्यादि में नीतियाँ बनाना,

(v) रासायन उद्योग योजना बनाने से संबंधित मामलों में भारत सरकार के मंत्रालय और लोक उपक्रमों से समन्वय करना ।

(X) उप सलाहकार (सामाजिक योजना)

(i) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत पिछड़े वर्गों का कल्याण भी है, विकास योजनाओं / कार्यक्रमों से संबंधित नीतियों को तैयार करने में अध्ययन करना,

(ii) सामाजिक कल्याण की स्थिति का परीक्षण करना और उस क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययनों का आरंभ करना और मार्गदर्शन करना, और

(iii) भारत और विदेशों में संबंधित क्षेत्र में नवीनतम सामाजिक प्रवृत्तियों / विकास से संबंधित स्कीमों और कार्यक्रमों का सर्वेक्षण और आवदिक मूल्यांकन करना.

3. **पात्रता :** (सभी पदों के लिए समान)

(i) **प्रतिनियुक्ति हेतु :**
केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा जिन्होंने 3000-4500रू0 (संशोधित 10000-325-15200 रू0) के वेतनमान अथवा समकक्ष में 5 वर्ा की नियमित सेवा की हो तथा पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों जैसाकि नीचे मद सं0 6 के सामने दर्शाया गया है ।

(ii) **पदोन्नति हेतु :**
योजना आयोग के वे विभागीय वरि-ठ अनुसंधान अधिकारी / उप निदेशक (सूचना) जिन्होंने नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के बाद दिए गए ग्रेड में - 5 वर्ा की नियमित सेवा की हो तथा प्रत्येक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव जैसा कि नीचे मद सं6 के सामने इंगित है , रखते हों ।

4. **आयु सीमा :**

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा

पात्रता हेतु निर्णायक तिथि जैसा की नीचे मद सं 5 के सामने इंगित है,को 56 वर्ा से अधिक न हो ।

5. **पात्रता निर्धारित करने हेतु अंतिम तिथि :**

(क) उप सलाहकारों (डाटा बैंक, ऊर्जा नीति, इंजीनियरींग, ग्रामीण एंव लघु उद्योग, पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय विकास, सिंचाई, रसायन तथा सामाजिक योजना) के लिए इस विज्ञापन के अनुसार आवेदनों की प्राप्ति के लिए यह आंतिम तिथि होगी ।

(ख) उप सलाहकारों (मछली पालन और उर्वरक) पदों हेतु यह 1/7/2006 होगी ।

6. **अर्हताएं और अनुभव :** (प्रत्येक पद के लिए पृथक)

(I) उप सलाहकार (डाटा बैंक)

अनिवार्य :

(i) विज्ञान की किसी शाखा या व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री या अभियांत्रिकी / कंप्यूटर विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री ।

-/-

(ii) सूचना एकत्रण और बरामदगी प्रणाली में शोध / डिजाइन / विकास / योजना में 10 व-र् का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री या अभियांत्रिकी / कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री ।

(ii) डाटा बेस प्रबंधन पद्धतियों , पद्धति विश्ले-ाण और पद्धति डिजाइन विकसित करने का अनुभव ।

(iii) सूचना और डाटा संसाधन पद्धतियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार तथा आयोजित करने का अनुभव ।

(II) उप सलाहकार (ऊर्जा नीति)

अनिवार्य :

(i) भूविज्ञान / प्रयुक्त भूविज्ञान / भू - भौतिकी / पैट्रोलियम तकनीकी / भौतिकी / गणित / अर्थशास्त्र /संचालन शोध में मास्टर डिग्री या खनन अभियांत्रिकी / विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री ।

(ii) ऊर्जा (विद्युत / कोयला /लिग्लाइट / पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस / गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रौद्यौगिकीयों के क्षेत्र में परियोजना/ शोध / डिजाइन / विकास / योजना / संचालन में 10 व-र् का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) भू-विज्ञान / अनुप्रयुक्त भु-विज्ञान / भू- भौतिकी / पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी / ऊर्जा / भौतिकी / गणित / अर्थशास्त्र / संचालन शोध में डाक्टर डिग्री या खनन अभियांत्रिकी / विद्युत अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री ।

(ii) परियोजना मूल्यांकन तथा तकनीकी, आर्थिक और सांख्यिकीय प्रतिवेदनों / ऊर्जा प्रतिरूपण / ऊर्जा पूर्वानुमान तकनीकों का तकनीकी - आर्थिक मूल्यांकन ।

(iii) डाटा बेस सूचना प्रणाली के मानीटरिगं और डिजाइन , विकास तथा संचालन में कंप्यूटर प्रयोग में अनुभव

(iv) ऊर्जा के क्षेत्र में योजना की दीर्घावधिक भौतिक एवं वित्तीय योजना और नवीनतम प्रचलनों तथा विकास, उपकरणों और तकनीकों का ज्ञान ।

(III) उप सलाहकार (इंजीनियरिंग)

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से यांत्रिकी / विद्युत / इलैक्टॉनिक / अभियांत्रिकी में डिग्री ।

(ii) अभियांत्रिकी उद्योगों में शोध / डिजाइन / विकास / योजना नि-पादन / प्रोन्नति में 10 व-र् का अनुभव ।

-/-

वांछनीय:

(i) अभियांत्रिकी / व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री ।

(ii) औद्योगिकी अर्थशास्त्र और औधोगिक विकास और नियामकों को संचालित करने वाले सिद्धांत और नीतियों का ज्ञान ।

(iii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों / व्यवहार्य अध्ययनों के परियोजना मूल्यांकन / तकनीकी- आर्थिक मूल्यांकन का अनुभव ।

(IV) उप सलाहकार (ग्रामीण एवं लघु उद्योग)

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या समकक्ष से भौतिकी / रसायनिकी / औ-ाध निर्माण विज्ञान / अर्थशास्त्र / वाणिज्यिकी / व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिग्री ।

(ii) उद्योग / औद्योगिक विकास के किसी क्षेत्र में शोध / विकास /योजना / नि-पादन / प्रोन्नति में 10 व-र् का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) विज्ञान के संबद्ध क्षेत्र में डॉक्ट्रेट डिग्री या अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री।

(ii) ग्राम और उद्योगों को विकसित / प्रोन्नत करने का अनुभव ।

(iii) ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास / प्रोन्नति के संबध में सरकारी नीतियों / नियामकों का ज्ञान ।

(V) उप सलाहकार (उर्वरक)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या समकक्ष से मूल / अनुप्रयुक्त । औद्योगिक रसायनिकी में मास्टर डिग्री या रसायनिकी अभियांत्रिकी या प्रोद्यौगिकी में डिग्री ।

(ii) शोध / डिजाइन / विकास या उर्वरक उद्योग में योजना / विकास कार्यक्रमों /परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 10 व-र् का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) रासायनिकी में डाक्ट्रेट डिग्री / रासायनिकी अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री ।

(ii) उर्वरक अर्थशास्त्र , सहयोगिता इत्यादि के साथ पहचान या ज्ञान ।

(iii) व्यवहार्य अध्ययन या विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का अनुभव या तैयारी और / या तकनीकी - आर्थिक मूल्यांकन ।

(VI) उप सलाहकार (मछली पालन)

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विवश्वविद्यालय या समकक्ष से पशु/चिकित्सा विज्ञान / पशुपालन / मात्स्यिकी या संबद्ध क्षेत्र या संकाय में मास्टर डिग्री ।

-/-

(ii) आंतरिक समुद्री मात्स्यिकी में शोध/ विकास / योजना / विकास परियोजनाओं / कार्यक्रमों के नि-पादन का 10 व-र् का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) संबद्ध क्षेत्र में डॉक्ट्रेट डिग्री ।

(ii) उपरोक्त (ii) में इंगित अनिवार्य में क्षेत्रों में विस्तारीकरण कार्य का अनुभव ।

(iii) व्यवहार्य अध्ययनों / विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की तैयारी या तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का अनुभव ।

(VII) उप सलाहकार (पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास)

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विवश्वविद्यालय या समकक्ष से सामाजिकी / सामाजिकमानव शास्त्र / सामाजिक मनोविज्ञान / समाज कार्य में मास्टर डिग्री ।

(ii) समाज कल्याण , पिछड़ा वर्ग कल्याण , जनजातीय विकास, अनुप्रयुक्त पो-ाहार इत्यादि के क्षेत्र में शोध / मूल्यांकन / विकास परियोजनाओं /कार्यक्रमों के नि-पादन योजना में 10 व-र् का अनुभव ।

वाछनीय :

(i) संबंधित क्षेत्र में डॉक्ट्रेट डिग्री ।

(ii) बहुआयामी क्षेत्रों में परियोजनाओं / कार्यक्रमों के संचालन /आयोजन / मार्गदर्शन/ योजना / नि-पादन / मूल्यांकन का अनुभव ।

(iii) सामाजिकी / मानविकी / समाज कार्य इत्यादि में प्रकाशित कार्य के प्रमाण के साथ शोध अनुभव ।

(VIII) उपसलाहकार (सिंचाई)

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्ययालय या समकक्ष से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री ।

(ii) सिंचाई क्षेत्र में इसके सभी विभिन्न पहलुओं जैसे नदी नाली परियोजनाओं , जल संसाधन विकास, सिंचित क्षेत्र विकास, जल निकास, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि में शोध / डिजाइन / विकास /योजना / नि-पादन / प्रशासन का 10 व-र् का अनुभव ।

वाछंनीय :

(i) सिविल / हाइड्रोलिक / जल संसाधन अभियांत्रिकी / द्रव अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री ।

(ii) प्रकाशनों द्वारा प्रमाणित आलोचनात्मक समीक्षाएं, मूल्यांकन प्रतिवेदनों, शोध प्रतिवेदनों इत्यादि को तैयार करने का अनुभव ।

(IX) उपसलाहकार (रसायन)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शुद्ध / अनुप्युक्तय / औद्योगिक रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री अथवा रसायन इंजीनियरिं / तकनीकी में डिग्री या समकक्ष ।

(ii) रसायनशात्र/ रसायन इंजीनियरिंग / तकनीकी में अनुसंधान / डिजाईन / विकास अथवा रसायन उद्योग में विकास कार्यक्रम / परियोजनाओं को तैयार करने / कार्यान्वयन करने का 10 व-र्ा का अनुभव।

वाछंनीय :

(i) रसायन शास्त्र गणित में डाक्टरेट डिग्री अथवा रसायन इंजीनियरिंग में मास्टर डीग्री ।

(ii) औद्योगिक लाईसेंसिंग, विदेशी निवेश, सहायत आदि के नियम और / अथवा नीतियों का ज्ञान ।

(iii) साध्यता अध्ययनों अथवा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने और / अथवा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने का अनुभव।

(X) उपसलाहकार (सामाजिक योजना)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाज शास्त्र / समाज मानव विज्ञान / अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) समाज कल्याण के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों का कल्याण है, अनुसंधान / मूल्यांकन / योजना / विकास परियोजनाओं / कार्यक्रमों के नि-पादन का 10 व-र्ा का अनुभव ।

वाछंनीय :

(i) संबंधित क्षेत्र में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) योजना संकल्पनाओं का ज्ञान और / या आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने का अनुभव ।

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि (केन्द्र सरकार में उसी अथवा अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से क पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि को मिलाकर) सामान्यतः चार व-र्ा से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें , भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/ 29 / 91 - स्था. (पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में , शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से निर्देशों के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत तय की जाएंगी ।

*****

[अभ्यर्थी जो प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर आवेदन करता है , के आवेदन के साथ पृथक रूप से संलग्न करने हेतु आवश्यक विभिन्न प्रमाण पत्रों का प्रारूप]

सत्यनि-ठा प्रमाण पत्र

डा0 / श्री / श्रीमति / सुश्री --, ---------------------------------- --जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर उप सलाहकार (--------------------------------) के पद के लिए आवेदन किया है, यह प्रमाणित किया जाता हे कि उनकी सत्यनि-ठा पर कोई संदेह नहीं है ।

(उपसचिव या ऊपर के पद के अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित)
नाम एवं कार्यालय मोहर ;
दिनांक;.......................

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 / श्री / श्रीमति / सुश्री --,------------------- ---जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर उप सलाहकार(--) के पद के लिए आवेदन किया है , के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला या अनुशासनात्मक कार्यवाई या आपराधिक कार्यवाई न तो चल रही है न विचारित है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम एवं कार्यालय मोहर;
दिनांक ;..................

कोई दण्ड नहीं प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 /श्री / श्रीमति / सुश्री --,----------------------------- -----------------------------जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर उप सलाहकार (------ ------------) के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले दस व-र्ों के दौरान कोइ लघु / मुख्य दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम एवं कार्यालय मोहर;
दिनांक ;...................

सं.ए-12025/ 9 / 2005 -प्रशासन -I
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना आयोग में (i) उप सलाहकार (डाटा बैंक), (ii) उप सलाहकार (ऊर्जा नीति), (iii) उप सलाहकार (इंजीनियरिंग), (iv) उप सलाहकार (ग्रामीण एवं लघु उद्योग) , (v) उप सलाहकार (उर्वरक), (vi)उप सलाहकार (मछली पालन), (vii) उप सलाहकार (पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास), (viii)उपसलाहकार (सिंचाई), (ix) उप सलाहकार (रसायन) (x) उप सलाहकार (सामाजिक योजना) (प्रत्येक एक) के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर संयुक्त विधि द्वारा भरे जाने की आवश्यकता है । प्रत्येक पद का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा ।

इन रिक्तियों के विवरण हैं :-

I. <u>वेतनमान</u> :- 12000-375-16500(प्रत्येक पद हेतु)

2. <u>पद से संबंधित कार्य</u> :-

<u>(I) उपसलाहकार (डाटा बैंक)</u>

(i) सभी क्षेत्रकों / स्कीमों / क्षेत्रों को कवर करते हुए योजना आयोग के लिए सूचना, स्टोरेज और बरामदगी प्रणाली विकसित करना ।
(ii) सूचना पद्धति के भाग के रूप में योजना आयोग के लिए डाटा बैंक विकसित, संचालित एवं रख- रखाव करना ।
(iii) अर्थव्यवस्था का डाटा बेस विकसित करने के कार्य में सहायता करना ।
(iv) मंत्रालयों / राज्य सरकारों / परियोजना अधिकरणों में सूचना पद्धतियों और डाटा बैंकों को विकसित करने में मदद करना ।
(v) योजना आयोग द्वारा सौंपी गई ऐसी अन्य जिम्मेदारियों को निभाना ।

<u>(II) उप सलाहकार(ऊर्जा नीति)</u>

(i) प्रतिरूपण अध्ययनों, डाटा बेसों को अद्यतन इत्यादि करने में ऊर्जा प्रतिरूपण समूहों की सहायता करना ।
(ii) नीति प्रतिरूपण् के लिए ऊर्जा और ऊर्जा संबंधित क्षेत्रकों के डाटा का एकत्रण , संग्रहण और विश्ले-ाण कार्य को देखना ; तथा
(iii) ऊर्जा की मांग के हिस्से का विस्तृत अध्ययन करना ।

<u>(III) उप सलाहकार (इंजीनियरिंग)</u>

उपसलाहकार (इंजीनियरिंग) योजना आयोग के उद्योग प्रभाग में प्रभारी सलाहकार के सामान्य मार्गदर्शन में कार्य करता है और उसे एवं योजना आयोग में अन्य वरि-ठ अधिकारियों को सहायता करने की उम्मीद की जाती है ;-

(i) सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के योजना प्रस्तावों की जांच और वार्-िक एवं पंचव-ीय योजनाओं की जांच और वार्-िक एवं पचंव-ीय योजनाओं का प्रतिपादन ;

-/-

(ii) निवेश-प्रस्तावों की तकनीकी -आर्थिक जांच ;

(iii) अभियांत्रिकी क्षेत्रकों में उपक्रमों की नि-पादन रिपोर्टो की जांच ;

(iv) अभियांत्रिकी क्षेत्रक में परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति को मानीटर करना ;

(v) योजना एवं अभियांत्रिकी उद्यमों में नीति मुद्दों पर विचार ; और

(vi) अन्य कोई मामला, जो समय-समय पर सौंपा जाए ।

(IV) उप सलाहकार (ग्रामीण एवं लघुउद्योग)

(i) समस्याओं के प्रकार को पहचानने , और विकेंद्रीकृत क्षेत्रकों में ऐसे उद्योगों के विकास हेतु समाधान खोजने की दृ-टि से हथकरघा , रेश्मपालन, जूट, खादी, हस्तशिल्प, और ग्रामोंद्योगों जैसे उद्योगों का तकनीकी और आर्थिक विश्ले-ाण ।

(ii) उक्त उद्योगों के नि-पादन को नियमित अंतरालों पर मानीटर करना उनकी प्रगति तथा उत्पादन , रोजगार , तकनीकी अद्यतन जैसे पहलुओं और विचौलियों और व्यापारियों इत्यादि से कारीगरों तथा मजदूरों के शो-ाण को रोकना जैसे सामाजार्थिक उद्देश्यों को शामिल कर विचारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की अभिपु-टी को जांचना ।

(iii) वार्-िाक तथा पंचव-र्ाीय योजनाओं को तैयार करना तथा जब भी आवश्यक हो नि-पादन की समीक्षा करना ।

(iv) नीति उल्लेखों , संक्षेपों, विशे-ाज्ञ समूहों तथा योजना आयोग के विचार के लिए नियमित अतंरालों पर इन उद्योंगों पर टिप्पणियां तथा स्थिति रिपोर्ट तैयार करना ।

(v) दवाबों को पहचानने तथा सुधारात्मक उपायों को सुझाने की दृ-टि से ग्रामोंद्योंगों के विकास और प्रोन्नति पर अध्ययन करना ।

(vi) विभिन्न मंत्रालायों से प्राप्त प्रस्तावों और परियोजनाओं का तकनीकी - आर्थिक मूल्यांकन करना ।

(vii) इन उद्योंगों के विकास के सामंजस्य में प्राथमिकता प्रदान करते हुए शोध ओर विकास कार्यक्रमों का विश्ले-ाण करना ।

(V) उप सलाहकार (उर्वरक)

(i) रसायनों तथा उर्वरकों पर पंचव-र्ाीय और वार्-िाक योजनाओं का प्रतिपादन

(ii) उर्वरक उद्योग की नीतियों एवं समस्याओं से संबद्ध मामलों की जांच ।

(VI) उप सलाहकार (मछली पालन)

(i) मात्स्यिकी और अन्य जुड़ी हुई गतिविधियों के विकास से संबद्ध केंद्र और राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों तथा योजनाओं को जांचना ;

(ii) मात्स्यिकी क्षेत्रक के उपयुक्त कृ-िा प्रभाग द्वारा किए जा रहे अध्ययन को आयोजित करना और उसमें भाग लेना ;

(iii) संगठन में कृ-िा प्रभाग के अध्यक्ष को सहायता करना, निदेशित करना और कृ-िा प्रभाग द्वारा किए जा रहे अध्ययन का मार्ग दर्शन करना ;

v) समय-समय पर कृनि प्रभाग द्वारा सौंपे गए ऐसे कार्य को करना ।

(VII) उप सलाहकार (पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास)

अनुसूचित जातियों , अनु. जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रमों की योजना से संबद्ध कार्य का समन्वय तथा जनजातीय क्षेत्रों का विकास, आबादी के इन वर्गों और क्षेत्रों के विकास के लिए नीति निर्माणों के मसौदे तैयार करना, इन समूहों तथा क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्य स्तरों पर कार्यक्रम योजना बनाना, पंचवर्नीय एवं वार्निक योजना दस्तावेजों के लिए क्षेत्रक अध्यायों के मसौदे तैयार करना, संसदीय कार्य संभालना, उक्त समूहों और क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों पर अंतर्विभागीय सभाओं में भाग लेना । प्रगति रिर्पोट और स्थायी समितियों / कार्य बलों / कार्य समूहों के लिए रिर्पोट तैयार करना, अध्ययन के लिए क्षेत्रकों में योजना तथा कार्यक्रमों पर शोध एवं मूल्यांकन क्षेत्रों का र्मागदर्शन करना , प्रारूप बनाना और चयन करना, समय-समय पर क्षेत्र सर्वेक्षण करना, टीएसपी / एससीपी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले जिले कार्यालयों के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(VIII) उप सलाहकार (सिंचाई)

i) सिंचाई , बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के तकनीकी और आर्थिक अनुमोदन :

(ii) राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परिचर्चाओं में भाग लेना तथा योजनाओं का प्रतिपादन और उसकी कार्यसूची और कार्यवृत्तों की तैयारी :

(iii) सिंचाई , बाढ़ नियंत्रण और सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से जुड़े जल संसाधन विकास के सभी पहलुओं के साथ लेन-देन में जल संसाधन प्रभाग के वरि-ठ अधिकारियों (सलाहकार तथा संयुक्त सलाहकार)की सहायता करना।

(IX) उप सलाहकार (रसायन)

निम्नलिखित कार्यों में योजना आयोग की सहायता करना-

(i) रसायन उद्योग के विकास से संबंधित विविध पहलुओं में योजना बनाना,

(ii) कोयला रसायन उद्योग में उठने वाली समस्याओं का विशि-ठ तकनीकी / आर्थिक और अन्य पहूओं का परीक्षण बनाना,

(iii) मानिटरिंग साध्यता अध्ययन / वस्त्रुत परियोजना प्रतिवेदनों का मूल्यांकन करना,

(iv) उद्योग लाईसेंसिंग, विदेशी निवेश तथा सहयोग इत्यादि में नीतियाँ बनाना,

(v) रासायन उद्योग योजना बनाने से संबंधित मामलों में भारत सरकार के मंत्रालय और लोक उपक्रमों से समन्वय करना ।

(X) उप सलाहकार (सामाजिक योजना)

(i) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत पिछड़े वर्गों का कल्याण भी है, विकास योजनाओं / कार्यक्रमों से संबंधित नीतियों को तैयार करने में अध्ययन करना,

(ii) सामाजिक कल्याण की स्थिति का परीक्षण करना और उस क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययनों का आरंभ करना और मार्गदर्शन करना, और

(iii) भारत और विदेशों में संबंधित क्षेत्र में नवीनतम सामाजिक प्रवृत्तियों / विकास से संबंधित स्कीमों और कार्यक्रमों का सर्वेक्षण और आवदिक मूल्यांकन करना.

3. **पात्रता :** (सभी पदों के लिए समान)

(i) **प्रतिनियुक्ति हेतु :**
केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा जिन्होंने 3000-4500रू0 (संशोधित 10000-325-15200 रू0) के वेतनमान अथवा समकक्ष में 5 वर्-ा की नियमित सेवा की हो तथा पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों जैसाकि नीचे मद सं0 6 के सामने दर्शाया गया है ।

(ii) **पदोन्नति हेतु :**
योजना आयोग के वे विभागीय वरि-ठ अनुसंधान अधिकारी / उप निदेशक (सूचना) जिन्होंने नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के बाद दिए गए ग्रेड में - 5 वर्-ा की नियमित सेवा की हो तथा प्रत्येक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव जैसा कि नीचे मद सं6 के सामने इंगित है , रखते हों ।

4. **आयु सीमा :**

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा

पात्रता हेतु निर्णायक तिथि जैसा की नीचे मद सं 5 के सामने इंगित है,को 56 वर्-ा से अधिक न हो ।

5. **पात्रता निर्धारित करने हेतु अंतिम तिथि :**

(क) उप सलाहकारों (डाटा बैंक, ऊर्जा नीति, इंजीनियरींग, ग्रामीण एंव लघु उद्योग, पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय विकास, सिंचाई, रसायन तथा सामाजिक योजना) के लिए इस विज्ञापन के अनुसार आवेदनों की प्राप्ति के लिए यह आंतिम तिथि होगी ।

(ख) उप सलाहकारों (मछली पालन और उर्वरक) पदों हेतु यह 1/7/2006 होगी ।

6. **अर्हताएं और अनुभव :** (प्रत्येक पद के लिए पृथक)

(I) उप सलाहकार (डाटा बैंक)

अनिवार्य :

(i) विज्ञान की किसी शाखा या व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री या अभियांत्रिकी / कंप्यूटर विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री ।

-/-

(ii) सूचना एकत्रण और बरामदगी प्रणाली में शोध / डिजाइन / विकास / योजना में 10 व–र्ा का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री या अभियांत्रिकी / कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री ।

(ii) डाटा बेस प्रबंधन पद्धतियों , पद्धति विश्ले–ाण और पद्धति डिजाइन विकसित करने का अनुभव ।

(iii) सूचना और डाटा संसाधन पद्धतियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार तथा आयोजित करने का अनुभव ।

(II) उप सलाहकार (ऊर्जा नीति)

अनिवार्य :

(i) भूविज्ञान / प्रयुक्त भूविज्ञान / भू - भौतिकी / पैट्रोलियम तकनीकी / भौतिकी / गणित / अर्थशास्त्र /संचालन शोध में मास्टर डिग्री या खनन अभियांत्रिकी / विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री ।

(ii) ऊर्जा (विद्युत / कोयला /लिग्लाइट / पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस / गैर-पांरपरिक ऊर्जा प्रौद्यौगिकीयों के क्षेत्र में परियोजना/ शोध / डिजाइन / विकास / योजना / संचालन में 10 व–र्ा का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) भू-विज्ञान / अनुप्रयुक्त भु-विज्ञान / भू- भौतिकी / पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी / ऊर्जा / भौतिकी / गणित / अर्थशास्त्र / संचालन शोध में डाक्टर डिग्री या खनन अभियांत्रिकी / विद्युत अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री ।

(ii) परियोजना मूल्यांकन तथा तकनीकी, आर्थिक और सांख्यिकीय प्रतिवेदनों / ऊर्जा प्रतिरूपण / ऊर्जा पूर्वानुमान तकनीकों का तकनीकी - आर्थिक मूल्यांकन ।

(iii) डाटा बेस सूचना प्रणाली के मानीटरिगं और डिजाइन , विकास तथा संचालन में कंप्यूटर प्रयोग में अनुभव

(iv) ऊर्जा के क्षेत्र में योजना की दीर्घावधिक भौतिक एवं वित्तीय योजना और नवीनतम प्रचलनों तथा विकास, उपकरणों और तकनीकों का ज्ञान ।

(III) उप सलाहकार (इंजीनियरिंग)

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से यांत्रिकी / विद्युत / इलैक्टॉनिक / अभियांत्रिकी में डिग्री ।

(ii) अभियांत्रिकी उद्योगों में शोध / डिजाइन / विकास / योजना नि–पादन / प्रोन्नति में 10 व–र्ा का अनुभव ।

वांछनीय:

(i) अभियांत्रिकी / व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री ।

(ii) औद्योगिकी अर्थशास्त्र और औधोगिक विकास और नियामकों को संचालित करने वाले सिद्धांत और नीतियों का ज्ञान ।

(iii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों / व्यवहार्य अध्ययनों के परियोजना मूल्यांकन / तकनीकी- आर्थिक मूल्यांकन का अनुभव ।

(IV) उप सलाहकार (ग्रामीण एवं लघु उद्योग)

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या समकक्ष से भौतिकी / रसायनिकी / औ-ाध निर्माण विज्ञान / अर्थशास्त्र / वाणिज्यिकी / व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिग्री ।

(ii) उद्योग / औद्योगिक विकास के किसी क्षेत्र में शोध / विकास /योजना / नि-पादन / प्रोन्नति में 10 व-र् का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) विज्ञान के संबद्ध क्षेत्र में डॉक्ट्रेट डिग्री या अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री।

(ii) ग्राम और उद्योगों को विकसित / प्रोन्नत करने का अनुभव ।

(iii) ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास / प्रोन्नति के संबध में सरकारी नीतियों / नियामकों का ज्ञान ।

(V) उप सलाहकार (उर्वरक)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या समकक्ष से मूल / अनुप्रयुक्त । औद्योगिक रसायनिकी में मास्टर डिग्री या रसायनिकी अभियांत्रिकी या प्रोद्यौगिकी में डिग्री ।

(ii) शोध / डिजाइन / विकास या उर्वरक उद्योग में योजना / विकास कार्यक्रमों /परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 10 व-र् का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) रासायनिकी में डाक्ट्रेट डिग्री / रासायनिकी अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री ।

(ii) उर्वरक अर्थशास्त्र , सहयोगिता इत्यादि के साथ पहचान या ज्ञान ।

(iii) व्यवहार्य अध्ययन या विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का अनुभव या तैयारी और / या तकनीकी - आर्थिक मूल्यांकन ।

(VI) उप सलाहकार (मछली पालन)

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विवश्वविद्यालय या समकक्ष से पशु/चिकित्सा विज्ञान / पशुपालन / मात्स्यिकी या संबद्ध क्षेत्र या संकाय में मास्टर डिग्री ।

-/-

(ii) आंतरिक समुद्री मात्स्यिकी में शोध/ विकास / योजना / विकास परियोजनाओं / कार्यक्रमों के नि-पादन का 10 व-र् का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) संबद्ध क्षेत्र में डॉक्ट्रेट डिग्री ।

(ii) उपरोक्त (ii) में इंगित अनिवार्य में क्षेत्रों में विस्तारीकरण कार्य का अनुभव ।

(iii) व्यवहार्य अध्ययनों / विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की तैयारी या तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का अनुभव ।

(VII) उप सलाहकार (पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास)

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विवश्वविद्यालय या समकक्ष से सामाजिकी / सामाजिकमानव शास्त्र / सामाजिक मनोविज्ञान / समाज कार्य में मास्टर डिग्री ।

(ii) समाज कल्याण , पिछड़ा वर्ग कल्याण , जनजातीय विकास, अनुप्रयुक्त पो-ााहार इत्यादि के क्षेत्र में शोध / मूल्यांकन / विकास परियोजनाओं /कार्यक्रमों के नि-पादन योजना में 10 व-र् का अनुभव ।

वाछनीय :

(i) संबंधित क्षेत्र में डॉक्ट्रेट डिग्री ।

(ii) बहुआयामी क्षेत्रों में परियोजनाओं / कार्यक्रमों के संचालन /आयोजन / मार्गदर्शन/ योजना / नि-पादन / मूल्यांकन का अनुभव ।

(iii) सामाजिकी / मानविकी / समाज कार्य इत्यादि में प्रकाशित कार्य के प्रमाण के साथ शोध अनुभव ।

(VIII) उपसलाहकार (सिंचाई)

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्ययालय या समकक्ष से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री ।

(ii) सिंचाई क्षेत्र में इसके सभी विभिन्न पहलुओं जैसे नदी नाली परियोजनाओं , जल संसाधन विकास, सिंचित क्षेत्र विकास, जल निकास, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि में शोध / डिजाइन / विकास /योजना / नि-पादन / प्रशासन का 10 व-र् का अनुभव ।

वाछंनीय :

(i) सिविल / हाइड्रोलिक / जल संसाधन अभियांत्रिकी / द्रव अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री ।

(ii) प्रकाशनों द्वारा प्रमाणित आलोचनात्मक समीक्षाएं, मूल्यांकन प्रतिवेदनों, शोध प्रतिवेदनों इत्यादि को तैयार करने का अनुभव ।

-/-

(IX) उपसलाहकार (रसायन)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शुद्ध / अनुप्युक्तय / औद्योगिक रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री अथवा रसायन इंजीनियरिं / तकनीकी में डिग्री या समकक्ष ।

(ii) रसायनशात्र/ रसायन इंजीनियरिंग / तकनीकी में अनुसंधान / डिजाईन / विकास अथवा रसायन उद्योग में विकास कार्यक्रम / परियोजनाओं को तैयार करने / कार्यान्वयन करने का 10 व-र्ा का अनुभव।

वाछंनीय :

(i) रसायन शास्त्र गणित में डाक्टरेट डिग्री अथवा रसायन इंजीनियरिंग में मास्टर डीग्री ।

(ii) औद्योगिक लाईसेंसिंग, विदेशी निवेश, सहायत आदि के नियम और / अथवा नीतियों का ज्ञान ।

(iii) साध्यता अध्ययनों अथवा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने और / अथवा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने का अनुभव।

(X) उपसलाहकार (सामाजिक योजना)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाज शास्त्र / समाज मानव विज्ञान / अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) समाज कल्याण के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों का कल्याण है, अनुसंधान / मूल्यांकन / योजना / विकास परियोजनाओं / कार्यक्रमों के नि-पादन का 10 व-र्ा का अनुभव ।

वाछंनीय :

(i) संबंधित क्षेत्र में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) योजना संकल्पनाओं का ज्ञान और / या आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने का अनुभव ।

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि (केन्द्र सरकार में उसी अथवा अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि को मिलाकर) सामान्यतः चार व-र्ा से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें , भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/ 29 / 91 - स्था. (पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से निर्देशों के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत तय की जाएंगी ।

-/-

इच्छुक एंव पात्र अधिकारी , उचित माध्यम से प्रत्येक पद के लिए अलग से (डुप्लीकेट में) अपने आवेदन, संलग्न प्रोफार्मा में , अवर सचिव (प्रशा0 I), योजना आयोग योजना भवन , संसद मार्ग , नई दिल्ली -ll0001 को भेज सकते हैं । इस आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन तक होगी । आवेदन के साथ, पिछले पाँच व-र्ाे की गोपनीय रिपोर्ट डोजियर/ सत्यापित प्रतिलिपियाँ , सत्यनि-ठा प्रमाणपत्र, सतर्कता निवासी प्रमाणपत्र और पिछले 10 व-र्ाे के दोरान अधिकारी पर अधिरोपित मुख्य /लघु दंडों की सूची / आवेदक के संबंद्ध में बेबाकी प्रमाणपत्र (निर्धारित फार्मेट में), भी भेजा जाए ।

चयनसमिति द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों पर नियुक्ति करते समय आवेदाकें द्वारा दस्तावेजों सहित प्रस्तुत की गई आत्मवृत्त (सीवी) का निर्धारण किया जाएगा ।

आवेदक यह सुनिश्चित करे कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से पूर्ण हो। प्रपत्र में कोइ भी स्थान रिक्त न हो ।"लागू नहीं" अथवा" शून्य " सूचना का स्प-ट उल्लेख होना चाहिए । उपरिलिखित दस्तावेजों सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले भेजे गए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने पर अथवा अधूरे अथवा अग्रिम रूप से भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

*****

अभ्यर्थी जो प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर आवेदन करता है , के आवेदन के साथ पृथक रूप से संलग्न करने हेतु आवश्यक विभिन्न प्रमाण पत्रों का प्रारूप]

सत्यनि-ठा प्रमाण पत्र

डा0 / श्री / श्रीमति / सुश्री --, ------------------------------------ --जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर उप सलाहकार (-------------------------------) के पद के लिए आवेदन किया है, यह प्रमाणित किया जाता हे कि उनकी सत्यनि-ठा पर कोई संदेह नहीं है ।

(उपसचिव या ऊपर के पद के अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित)
नाम एवं कार्यालय मोहर ;
दिनांक;.......................

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 / श्री / श्रीमति / सुश्री --,------------------- --जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर उप सलाहकार(--) के पद के लिए आवेदन किया है , के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला या अनुशासनात्मक कार्यवाई या आपराधिक कार्यवाई न तो चल रही है न विचारित है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम एवं कार्यालय मोहर;
दिनांक ;..................

कोई दण्ड नहीं प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 /श्री / श्रीमति / सुश्री --,---------------------------- ----------------------------जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर उप सलाहकार (----------------) के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले दस व-र्गों के दौरान कोइ लघु / मुख्य दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम एवं कार्यालय मोहर;
दिनांक ;...................

प्रपत्र / PROFORMA

आवेदित पद का नाम _______________________

Name of the post applied for _______________________

1. नाम और पता / Name and Address (In Block Letters)

2. जन्म तिथि / Date of birth (in Christian era)

3. केन्द्रीय / राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति की तारीख / Date of retirement under Central/ State Govt. Rules

4. शैक्षिक अर्हताएं / Educational Qualifications

5. क्या निर्धारित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्राप्त हैं (यदि कोई अर्हता निर्धारित अर्हता के समकक्ष मानी जारही है तो उस संबंध में प्राधिकरण का नाम बताएं) / Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same).

निर्धारित अर्हताएं / अनुभव / Qualifications / Experience required	अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हताएं / अनुभव /Qualifications / Experience possessed by the officer
अनिवार्य / Essential : 1. 2. 3. वांछनीय / Desirable: 1. 2. 3.	

6. कृपया यह स्प-ट बताएं कि ऊपर इंगित तथ्यों के आधार पर क्या आप उक्त पद के लिए निर्धारित आवश्यकताएँ पूरी करते हैं / Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post.

7. सेवा संबंधी कालक्रमानूसार विवरण. आवश्यकता होने पर, हस्ताक्षरित अलग पृ-ठ संलग्न कर पूरा ब्यौरा दें / Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

कार्यालय / संस्थान / Office/ Institution	धारित पद / Post held	से / From	तक /To	वेतनमान और मूल वेतन / Scale of pay and basic pay	कार्य का स्वरूप / Nature of duties (in details)

-/-

8. वर्तमान सेवा का स्वरूप अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायीवत् अथवा स्थायी / Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-permanent or Permanent.

9. यदि वर्तमान सेवा प्रतिनियुक्ति / संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं कि / In case the present employment is held on deputation/ contract basis, please state -

a) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि / The date of initial appointment
b) नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि / Period of appointment and deputation/ contract
c) मूल कार्यालय / संगठन का नाम / Name of the parent office/ organisation to which you belong

10. वर्तमान सेवा के बारे में अतिरिक्त विवरण / Additional details about present employment

कृपया नियोक्ता का नाम संबंधित कॉलम के सामने लिखे / Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column).

a) Central Govt.
b) State Govt.
c) Autonomous Organisation
d) Government Undertaking
e) Universities
f) Others

11. कृपया यह बताएं कि आप उसी कार्यालय में कार्यरत हैं और क्या आप परिपूरक ग्रेड में या परिपूरक के परिपूरक ग्रेड में हैं / Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.

12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हाँ, तो संशोधन की तिथि तथा संशोधन पूर्व वेतनमान बताएं / Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.

13. वर्तमान में प्राप्त हो रहीं कुल परिलब्धियाँ / Total emoluments per month now drawn.

14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसके बल पर आप उक्त पद हेतु अपनी उपयुक्तता का दावा करते हैं / Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.

-/-

15. कृपया यह बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन / पुनर्नियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं (केवल केन्द्र / राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे. गैर-सरकारी संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र होंगे) / Please state whether you are applying for deputation (including short-term contract) / Absorption/ Re-employment basis. (Officers under Central/ State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organisations are eligible only for Short-Term Contract).

16. क्या अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के हैं /Whether belongs to SC/ ST.

17. अभ्युक्तियाँ (अभ्यर्थी (i)अनुसंधान प्रकाशनों और प्रतिवेदनों और विशे-ा परियोजनाओं; (ii) पुरस्कारों / छात्रवृत्तियों /सरकारी प्रोत्साहनों (iii) व्यावसायिक संस्थानों / संगठनों / समितियों से संबद्धता इत्यादि के बारे में विवरण दे सकते हैं) (टिप्पणी : यदि आवश्यकता हो तो अलग पृ-ठ संलग्न करें) Remarks [The candidates may indicate information with regard to (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/ Scholarship/ Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and (iv) any other information.] (Note : Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन ध्यान पूर्वक पढ़ा है और मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि मेरे आत्मवृत्त के समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का, चयन करते समय, चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा / I have carefully gone through the vacancy circular/ advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :
पता :
Signature of the candidate:
Address:

दिनांक :
Date:

प्रतिहस्ताक्षरित :
(नियोक्ता का नाम व कार्यालय मोहर)
Counter signed:
(Employer with Seal)

***